

नया गांव उप विभाग अलिखत, हसनमं, जिला-उन्नाव ।

दिनांक 2/10/08

धारा 143 बंगला अधिनियम
मौजा-बादागापुर व बादाती
तह-हसनमं, जिला-उन्नाव ।

रामा मेमोरियल स्मृतिदान सलाहदा

समा

30 नवंबर

अवकाशसिद्धि सिद्धि

उपरोक्त गांव रामा मेमोरियल स्मृतिदान सलाहदा, नगरपालिका-मुज

1/2 भाग, सिमित भाग, कानपुर के दुरीया पर दिनांक 22-10-07 के द्वारा
 सिद्धि ग्राम बादागापुर व बादाती, परन्तु शरीर अर्थात् तहसील हसनमं
 जिला उन्नाव की आयसीय मुमि घोषित शिवे जाने की दुरीया की दुरी है ।
 कि पर तहसील हसनमं से आयसीय मुमि नई 13 नवंबर अर्थात् अर्थात्
 दिनांक 00-01-2008 धारा अर्थात् अर्थात् कि 8 सातसं- 337
 गांटा सं 12048/0-240 हे०, 12048/0-253 हे०, 12048/0-253 हे०
 12048/0-202 हे० व सातसं 220 गांटा सं 1205/0-063 हे०
 1207/0-215 हे० गांटा सं 25-35 व सातसं 244- गांटा सं 1223 सं/
 0-076 हे० व 1/2 भाग व सातसं- 138 गांटा सं 1203/0-51 व 1/4 भाग
 व सातसं 137 गांटा सं 1227/0-334 हे० व 1/2 भाग 1232/0-139 व
 1/2 भाग, 8 सातसं- 75 गांटा सं 12048/0-253 हे०, 12068/0-164
 हे०, गांटा सं 05-90 8 व 8 सातसं 48- गांटा सं 234/0-152 हे०, 237 गांटा/
 सं 16 हे०, 266/0-038 हे० व सातसं- 228 गांटा सं 228/0-208 हे०,
 10-114 हे० 8, 8 सातसं- 005 गांटा सं 12008/1007 हे० गांटा
 सं 13-50 8, 8 सातसं- 58 गांटा सं 1209 सं/0-253 हे० व 1/2 भाग
 सातसं- 2 8 गांटा सं 1215/0-25 हे० व गांटा सं 1217/0-013 हे०,
 1-18/0-063 हे०, 1220/0-519 हे०, 1221/0-152 हे०, 1223/0-089 हे०
 1225/0-202 हे० व 1/4 भाग गांटा सं 40-55 8, 8 सातसं 339 गांटा सं
 187/0-272 हे० 8, 8 सातसं 342 गांटा सं 1208/0-0-98 हे० गांटा
 सं 8 8 कुल रकबा 34-66-9 हे०, रामा मेमोरियल स्मृतिदान सलाहदा धारा
 सिद्धि हेतु नमन सिद्धि का कार्य चल रहा है। उपरोक्तानुसार यदि उचित समझे तो
 शिवे मुमि से आयसीय मुमि सिद्धि हेतु घोषित किया जा सकता है। जिला-उन्नाव उप
 विभाग 8 रेवेन्यू से अर्थात् अर्थात् दि० 10-01-08 के आधारे पर धारा
 143 बंगला अधिनियम के अन्तर्गत के शिवे मुमि 8 आयसीय मुमि 8 घोषित किया जा
 सकता है।



उद्धरण

उपरोक्त सिद्धिदा के आधारे पर धारा 143 बंगला अधिनियम के अन्तर्गत
 8 सातसं 337 गांटा सं 12048/0-240 हे० 12048/0-253 हे०
 12048/0-253 हे०, 1204 सं/0-202 हे० व सातसं 220 गांटा सं 1205/
 0-063 हे०, 1207/0-215 हे० गांटा सं 25-35 व सातसं 244- गांटा सं
 1223 सं/0-076 हे० व 1/2 भाग व सातसं 138 गांटा सं 1203/0-051 व

1/4 भाग व साता सं० 137 गाटा सं० 1227/0-334 हे० व 1/2 भाग
 12 3/4 0-139 व 1/2 भाग 1. 1 साता सं०- 75 गाटा सं० 1204 व
 0-253 हे०, 12 06 0-164 हे० मा० सं० 5-908 व 1 साता सं० 48- गाटा
 सं० 2340- 152 हे० 237 मि०/ 0-316 हे०, 266/0-038 हे० व साता सं०
 - 228 गाटा सं० 228/0-200 हे०, 340/0- 114 हे०, 1 साता सं० 005 गाटा
 सं० 1200 व 1-007 हे० मा० सं० 13-508, 1 साता सं० 588 गाटा सं० 12 09 व
 0-253 हे० व 1/2 भाग साता सं०- 2 17 गाटा सं० 2 13/ 0-2 15 हे० व गाटा
 सं० 12 7/0-0 13 हे०, 12 18/0-06 हे० 1220/0-5 19 हे०, 122 10- 62 हे०,
 1-223 व 0-088 हे०, 1225/0-202 हे० व 1/4 भाग मा० सं० 40-55
 1 साता सं० 339 गाटा सं० 119 7/0-272 हे०, 1 साता सं० 344 गाटा सं०
 2 00 व 0-098 हे० मा० सं० 81 गुल रकबा 4- 466-9 1 हे० 1 स्थान ग्राम
 जय नगर व धरौली परगा इलाहा अने तहसील हसन जिला - उन्नाव
 को आवस्यीक अर्थिक सुविधा घोषित किया जाता है । इस आदेश की प्रति
 उपनिबन्धन को पेश की जाये ।



दिनांक : जनवरी- 11 2008

11/1-08
 उपपिताधिकारी
 जयनगर, जिला-उन्नाव ।



प्रस्ताव का क्रम संख्या 524
 प्रस्ताव पत्र देने का दिनांक 11/1/08
 प्रस्ताव पत्र देने वाले का नाम *...*
 वसूल किया गया का दिनांक 11/1/08
 मकूल देने का दिनांक 11/1/08
 12-50

12-50

सत्य-प्रतिलिपि
P. 10/108
 सचिव
 जय जिलाधिकारी, जयनगर, उन्नाव

12-28
 12-27
...

प्रतिलिपि
 11/12/08
 सचिव
 जय जिलाधिकारी, उन्नाव

ज्यातालय उप जिलाधिकारी, हसनगंज, जिला-उन्नाव ।

घास संख्या 84/08-09

धारा 143 बर्गीकरण अधिनियम

मोटा- बगडीगापुर

तह-हसनगंज, जिला-उन्नाव ।

राजभूमि अधिग्रहण अधिनियम

बनाम 30 गज सरदार

आदेश



उपर्युक्त घास राजभूमि अधिग्रहण अधिनियम, नवम्बर 1956, अधिनियम संख्या 37, दिनांक 26-12-56 के तहत मोटा बगडीगापुर परगना इलाके तहसील हसनगंज जिला-उन्नाव की अधिग्रहीत भूमि धोका विवेक देने की प्रार्थना की गई है। उक्त पर तहसीलदार हसनगंज ने आववा मांगी गई। उन्होंने अपनी आववा दिनांक 30-12-2008 द्वारा अर्पण कराया है कि खाता सं-537 गाटा सं-1209/0-215 है, खाता सं-187 गाटा सं-1208/0-304 है, खाता सं-187 गाटा सं-1210 क/0-278 है, गाटा सं-4-50 कुल रकबा 0-797 है। राजभूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा अधिग्रहीत भूमि धोका विवेक देना आवश्यक है। उक्त के अनुसार उक्त भूमि में भू प्रयोग विज्ञान हेतु धोका विवेक देना शक्य है। जिला नगरपालिका अधिष्ठाता रेवेन्यू ने अपनी आववा दिनांक 30-12-08 के आधार पर धारा 143 बर्गीकरण अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण धोका विवेक देना शक्य है।

आदेश

उपर्युक्त विवेकना के आधार पर धारा 143 बर्गीकरण अधिनियम के अन्तर्गत खाता सं-537 गाटा सं-1209 क/0-215 है, खाता सं-187 गाटा सं-1208/0-304 है, खाता सं-187 गाटा सं-1210 क/0-278 है, गाटा सं-4-50 कुल रकबा 0-797 है, उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा अधिग्रहीत भूमि धोका विवेक देना शक्य है। इस आदेश की प्रत उप निबन्धक को भेजा जा रहा है।

दिनांक 30-12-08

[Signature]
उप जिलाधिकारी
हसनगंज, जिला-उन्नाव ।

सिवार कर्ता को
मिलान कर्ता

प्रत्येक का का रकम संख्या
प्रत्येक पत्र देने का दिनांक 30-12-08
प्रत्येक पत्र देने वाले का नाम अरवि कुमार
नकल सिवरी का दिनांक 30-12-08
नकल देने का दिनांक 30-12-08
रकम 12.50

सत्य-प्रतिलिपि

[Signature]
30/12/08

उप जिलाधिकारी, हसनगंज, उन्नाव



(5)

स्वायत्तक उप विभागाधीन, हनुमान, जिला-उन्नाव ।

बाद संख्या 87/08-09

धारा 143 गोंदोंक औद्योगिक

गोला-जगदीशपुर

हनुमान, जिला-उन्नाव

रामा मेमोरियल स्मृति स्थापना

क्रमांक 3090 सरकार

- उत्तर निर्णय



प्रस्तुत बाद रामा मेमोरियल स्मृति स्थापना, नवगीत भवन 15/92, स्थित जगदीशपुर, हनुमान के प्राथमिक दिनांक 15-9-08 के द्वारा स्थित रामा मेमोरियल स्मृति स्थापना जलोत्तर अर्थात् तत्कालीन हनुमान जिला उन्नाव की आवासीय भूमि घोषित करे जानेकी प्रार्थना की गयी है। जिस पर तत्कालीन हनुमान के आवासीय भूमि गयी है। उन्नाव अन्तर्गत दिनांक 21-10-08 द्वारा अर्थात् धारा 143 गोंदोंक 3090 गोंदोंक सं-1222 4/10-177 दे, जगत सं-491 गोंदोंक सं-1219/0-379 दे गोंदोंक सं-3-75 जगत सं-138 गोंदोंक सं-1203 1/10/0-0127 दे गोंदोंक सं-2-00 जगत सं-589 गोंदोंक सं-1209 3/0-126 दे गोंदोंक सं-2-00 दे संख्या 0-6947 दे रामा मेमोरियल स्मृति स्थापना द्वारा घोषित भूमि के अन्तर्गत निर्माण निर्माणाधीन है। उपरोक्तानुसार भूमि के प्रयोग विज्ञान के घोषित विज्ञान का अन्तर्गत है। जिला आवासीय आवासीय विज्ञान के अन्तर्गत 21-10-08 के आधार पर धारा 143 गोंदोंक औद्योगिक के अन्तर्गत घोषित विज्ञान अन्तर्गत है।

आदेश

उपरोक्त विवेकन के आधार पर धारा 143 गोंदोंक 3090 के अन्तर्गत जगत सं-1222 4/10-177 दे, जगत सं-491 गोंदोंक सं-1219/0-379 दे, गोंदोंक सं-3-75 जगत सं-138 गोंदोंक सं-1203 1/10/0-0127 दे गोंदोंक सं-2-00 जगत सं-589 गोंदोंक सं-1209 3/0-126 दे गोंदोंक सं-2-00 दे संख्या 0-6947 दे स्थित रामा मेमोरियल स्मृति स्थापना जलोत्तर अर्थात् तत्कालीन हनुमान जिला- उन्नाव की आवासीय भूमि घोषित विज्ञान का अन्तर्गत है। इस आदेश की प्रति उपनिबन्धन को प्रेषित की गये।

दिनांक : नवम्बर 6, 2008

निर्णयकर्ता

उपनिबन्धन

हनुमान, जिला-उन्नाव ।



प्रथम बाद संख्या 30
 प्रथम बाद संख्या 03-11-08
 प्रथम बाद संख्या 03-11-08
 प्रथम बाद संख्या 06/11/08
 प्रथम बाद संख्या 06/11/08
 प्रथम बाद संख्या 12/50

सत्य-प्रतिलिपि

उपनिबन्धन

उप विभागाधीन, हनुमान, जिला-उन्नाव

